

November 12, 2022

**To,
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001**

Dear Sir,

Subject: Advertisement published in newspapers - corrigendum to EGM Notice

In terms of Regulation 47 to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published for corrigendum to EGM Notice, in the following newspapers:

1. Financial Express
2. Jansatta

This is for your information and records.

For PTC Industries Limited

**Alok Agarwal
Director (Quality and Technical)
DIN: 00129260**

FINANCIAL EXPRESS
Extension of EoI / Investment Opportunity in Coast Realtors Private Limited
Addendum to the Advertisement published on 27 September 2022

PUNJAB AGRI EXPORT CORPORATION LIMITED
A Punjab State Government Undertaking
Plot No. 2 A, Sector: 28A, Madhya Marg Chandigarh 160002
Tender Reference No. 2022_PAIC_92256_1 Dated: 10.11.2022

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN
600/1, University Road Near Hanuman Setu Mandir, Dehradun
SUMMONS FOR FILING OF REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
OA NO 250 OF 2022 DATE: 31.10.2022

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
LCRD New Delhi Division, U.G.F. Federal Towers, 22, West Patel Nagar, Patel Road,
New Delhi-110008 Ph. No.011-40733977, 78, 79 & 80 Email: ndlcrd@federalbank.co.in

POSSESSION NOTICE DCB BANK
Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co-borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN
Government of India, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services
2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK-248171
PUBLICATION NOTICE IN O.A. No. 22 OF 2022
(SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993. READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME)

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
Office of the Area Head, Mahal Hotel Complex, Opp. Verka Milk Plant, Ferozpur Road,
Ludhiana-141001, Punjab, Phone No. 0161-2450043, Email Id: achnal.chaudhary@federalbank.co.in

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES
(1) Hypothecation of Stock
(2) Hypothecation of Book debts
Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, Late Suresh Kumar Mehendiratta has created security interest in favour of the Bank by way of mortgage on 20.07.2016 which was redeposited on 01.01.2021 in respect of the following immovable properties.

ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED
(formerly known as OASIS Auto Financial Services India Limited)
(A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited)
Regd. Office : Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate,
Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059

Dudhsagar Dairy
India's Largest Co-operative Dairy
Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union Ltd
Post Box No. 1, Highway, Mehsana-384002 Phone: 02762-253201, Fax: 253422
Website: http://www.dudhsagardairy.coop/tenders/

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act) and in exercise of powers conferred under section 13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as Rules) issued a demand notice dated 11.07.2022 calling upon the borrowers: (1) Shri Harinder Singh, son of Shri Madan Singh, residing at House No. 238, Street No. 2, Professor Colony, Ward No. 11, Sirhind Mandi, Sirhind, District-Fatehgarh Sahib-140406, Punjab and carrying on business in the name and style of M/s Heera Cranes at F-37, Focal Point, Village-Chalarpura, Kumbh Road, Mandi Gobindgarh-147301, District-Fatehgarh Sahib, Punjab; (2) Shri Jatinder Singh, son of Shri Madan Singh, (3) Smt. Manpreet Kaur wife of Shri Harinder Singh, both residing at House No. 238, Street No. 2, Professor Colony, Ward No. 11, Sirhind Mandi, Sirhind, District-Fatehgarh Sahib-140406, Punjab, to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 12,34,984/- (Rupees Twelve Lakh Thirty-Four Thousand Nine Hundred Eighty-Four only) is due from you jointly and severally as on 30.06.2022 under your Cash Credit Limit Account No. 19835500000318 and Rs.2,11,095.18 (Rupees Two Lakh Eleven Thousand Ninety-Five & Paise Eighteen only) is due from the 1st of you as on 07.07.2022 under your Guaranteed Emergency Credit Line (GEC) Working Capital Term Loan Account No. 19836900000189 i.e. totalling to Rs.14,46,079.18 (Rupees Fourteen Lakh Forty-Six Thousand Seven Hundred Ninety-Eight & Paise Eighteen only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this 9th Day of November, 2022.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY
All that piece and parcel of Industrial Property admeasuring 1617 Sq yards (2 kanal 13 Marie 8 Sarsa) (1 Bigha 12 Biswa 7 Biswansi) bearing Wasika No. 529, dated 13.08.2015 of Jt. Sub Registrar, Mandi Gobindgarh, comprised in 485/6291 share out of land measuring 34 Kanal 19 Marie of Khawat No. 2, Khatori No. 3, Khasra No.27/4(7-5), 5(8-0), 6(8-0), 15(8-0), 16(1 (3-14), Kite 5 as per Jamabandi for the year 2011-12, situated at Village Chatarpura, (Haddast No. 68), Kumbh Road, Mandi Gobindgarh, Tehsil-Amloh, Distt. Fatehgarh Sahib, Punjab with all improvements thereon and bounded on the East by property of Sadhu Singh, West by Road 22 wide, North by property of Sher Singh and South by property of Ramesh Kumar

AKG EXIM
AKG EXIM LIMITED
CIN No. L00063DL2005PLC139045
REG. OFF. H.B. TWIN TOWER, 07 FLOOR, MAX HOSPITAL BUILDING, NETAJI SUBHASH PLACE, PITAMPURA, DELHI-110034

E-Tender cum Reverse Auction Notice
E-Tender ID Name of Work Last Date
5644489 Supply, installation, testing, and commissioning, loading, unloading of Solid briquettes/wood type, shell & tube type 5ton IBR approved boiler (Complete set with all Accessories) at Dudhsagar Dairy, Manesar, Haryana State. 03/12/2022

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND & BUILDING, PLOT NO-B-5/221 & 222, THIRD FLOOR WITH ROOF RIGHT, POKKET NO-5, BLOCK-B, SECTOR-5, ROHINI, NEW DELHI 110085 AND BOUNDED ON THE: NORTH - ROAD, SOUTH - OTHER'S PROP, EAST - OTHER'S PROP, WEST - OTHER'S PROP

PTC INDUSTRIES
ASPIRE • INNOVATE • ACHIEVE
CIN: L27109UP1963PLC002931
Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Sahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh - 227011, India

Table with 10 columns: Particulars, Quarter ended September 30, 2022, Quarter ended June 30, 2022, Quarter ended September 30, 2021, Year ended March 31, 2022, Quarter ended September 30, 2022, Quarter ended June 30, 2022, Quarter ended September 30, 2021, Year ended March 31, 2022. Includes financial data for AKG EXIM LIMITED.

CORRIGENDUM TO NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
Dear Members,
PTC Industries Limited had issued Notice dated October 20, 2022 ("Notice of EGM") for convening Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Company which is scheduled to be held on Saturday, November 19, 2022 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility. The Notice of the EGM has been dispatched to the shareholders of the Company on October 27, 2022 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder.

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED				
CIN: L51100UP1990PLC012089				
R/O: IInd FLOOR, 7/125, C-2, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002, U.P.				
E-Mail: investors@richuninet.com, WEB: www.richuninet.com				
Ph: 0512-2540293				
UN-AUDITED QUARTERLY RESULTS FOR THE PERIOD ENDED ON				
30TH SEPTEMBER, 2022 All aunts. In Lakhs				
Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended 30th September, 2022	Corresponding 3 months ended in the previous 30th September, 2021	Year ended figures as on 31st March, 2022
1.	Total Income from Operations	-1.77	0.50	823.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	5.23
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-5.64	-4.61	5.23
6.	Equity Share Capital	725.28	725.28	725.28
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5.39	-	14.89
8.	Earnings Per Share/Rs 10/-each (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic:	0.00	0.00	0.007
	2. Diluted:	0.00	0.00	0.007

Note :
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

For RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED
SD/-
SHASHWAT AGARWAL
DIN: (001122799)

Place : Kanpur
Date : 11.11.2022

उत्तर प्रदेश

जनसत्ता | 12 नवंबर, 2022

4

गंगा-रामगंगा से 70 साल पुराना अवैध कब्जा हटाया गया

शाहजहापुर, 11 नवंबर (भाषा)।

जिला प्रशासन ने गंगा और रामगंगा नदियों की जमीन पर 70 साल पुराने अवैध कब्जे को हटा कर उसे खाली करा लिया है। जिला प्रशासन के अनुसार, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इन दोनों नदियों की जमीन की कोमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उनके संज्ञान में आया था कि जलालाबाद व कलान तहसील से होकर बहने वाली गंगा और रामगंगा नदियों के नाम पर दर्ज जमीन को भू-माफियाओं ने राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 1952 में अपने नाम करवा लिया और उस पर खेती करने लगे। उन्होंने बताया कि मामले की

जांच अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) राशिद अली को सौंपी गई, जिसमें पता चला कि गंगा नदी 6,312 बीघा जलमग्न जमीन पर बहती थी और वह जमीन गंगा और रामगंगा नदियों के नाम पर थी। उसमें पता चला कि भू-माफियाओं ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जलमग्न जमीन को अपने नाम करवा लिया। सिंह ने बताया कि बाद में कटाव के बाद गंगा नदी की धार दूसरी ओर चली गई और 1952 में जलमग्न रही जमीन अब उपजाऊ दिया हो गई, जिस पर अवैध कब्जा करने वालों ने खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने इस जमीन पर बैंक से ऋण भी ले लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवैध कब्जे के कारण नदी का पाट बहुत संकरा हो गया। उन्होंने बताया कि कलान तहसील के ग्राम सुखनैया, चतुआपुर, शिवपुरी, खादर, व चिरौला

मंडैया के अलावा जलालाबाद तहसील के ग्राम डूडी के भू-माफियाओं ने गंगा के नाम की जमीन को अपने नाम करा लिया और उसके बाद हुई चक्रबंदी में भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। जिलाधिकारी ने जांच के बाद नदी की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और वापस उसे गंगा और रामगंगा नदियों के अवैध रूप से भू-माफियाओं के नाम दर्ज जमीन को पूरा गंगा और रामगंगा नदी के नाम दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लिप तत्कालीन सरकारी अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी राशिद अली ने बताया कि गंगा नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके करीब 40 भू-माफियाओं ने 6,312 बीघा जमीन सरकारी अभिलेखों में 500 लोगों के नाम दर्ज करावा दी थी।

बैंक ऑफ इंडिया BOI

अधिग्रहण सूचना

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय अरिस्तो का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की संपत्ति नियम 3 को तहत प्रवर्तन शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्त के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणगृहिता के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) संपठित उप नियम 8 के तहत प्रवर्तन शक्तियों के अनुप्रयोग में एतद्वारा सूचना प्राप्त के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और निम्नलिखित सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में देय बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (b) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण / सम्पत्ति मालिक का नाम	बकाया धनराशि (₹) धारा 13(2) के अनुसार मांग सूचना की तिथि
1.	श.रा.स. ताहसील फतेहपुर	सम्पत्ति के सभी भाग एव खण्ड नगर पंचायत प्लॉट/मकान सं 0 342 चक्र काजीपुर (पटेल नगर) तहसील फतेहपुर शहर बाराबंकी, जिला बाराबंकी, चौहदरी: पूर्व: राघव राम का मकान बाद में शिगेड सिंह चौधरी, पश्चिम: राम सुचित वना का मकान बाद में धनेन्द्र कुमार, उत्तर: 10 की रास्ता, दक्षिण: मंगोती प्रसाद का प्लॉट बाद में राम गोपाल आदि।	₹ 3,69,904.17 +ब्याज एवं अन्य खर्च
2.	श.रा.स. ताहसील फतेहपुर, बाराबंकी।	सम्पत्ति के सभी भाग एव खण्ड नगर पंचायत प्लॉट/मकान सं 432 नालापर दक्षिणी 4 वार्ड सं 02 तहसील फतेहपुर शहर बाराबंकी, जिला बाराबंकी, चौहदरी: पूर्व: शाकिर अली का प्लॉट, पश्चिम: शमशुद्दहक का प्लॉट, उत्तर: इंदरसिंह सोड, दक्षिण: कच्चा रास्ता एवं नाली, सांगरुन निशा से सम्बन्धित।	₹ 11,31,716.64 +ब्याज एवं अन्य खर्च
3.	श.रा.स. ताहसील फतेहपुर, बाराबंकी।	सम्पत्ति के सभी भाग एव खण्ड नगर पंचायत प्लॉट/मकान सं 105 पंचधारा 1 तहसील फतेहपुर शहर बाराबंकी, जिला बाराबंकी, चौहदरी: पूर्व: गोविन्द के लड़कों का मकान, पश्चिम: नाली बाद रास्ता सी. सी. नगर पंचायत, उत्तर: राम ओतार का मकान, दक्षिण: श्रद्धा श्रीवास्तव का मकान।	₹ 9,98,344.75 +ब्याज एवं अन्य खर्च

दिनांक: 12.11.2022, स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता- कानपुर
आवास कम्प्लेक्स, कानपुर, कानपुर
E-mail: eeknnpur78@gmail.com

ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक: 11/11/2022

वृत्त कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर की निविदा सूचना पत्र सं 2029/एस.ई.-कानपुर/टी.क्यू.-III/01 दिनांक 11.11.2022 द्वारा सूचित आवासीय योजना इटावा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 4 मंजिल फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु ई निविदा (E Tender) के माध्यम से आमंत्रित की गयी है। इन निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिपत्र की वेबसाइट <http://upavp.in> एवं <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता

SBI भारतीय स्टेट बैंक

आर.ए.सी.पी.सी.- सेक्टर बी, निकट राम राम बैंक चौसाहा, अतीर्ण लखनऊ

कब्जा नोटिस (नियम 6 (1) के तहत चल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी. द्वारा एस.बी.आई. एस.ओ.पी. कारलोन ज्वेलीकरण के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं सहायक नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित धारदार को उनके सम्पत्ति अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/जमानतदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहायक नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में केषक सम्पत्ति/आहन का उन्को सम्पत्ति अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। अतः इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सौदा/व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी. सी. के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (b) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे हैं। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है :-

ऋण-श्रद्धा का नाम एवं पता/ खाता संख्या/खाता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	प्रथम तिथि
श्री का नाम: सुश्री रेनु भण्डारी डी-79 के.आव. विहार, कल्याणपुर, लखनऊ	Vehicle Regn. No. : UP32-KZ5995 Asset/Vehicle Make GRAND10 SPORT 1.2 ENGINE NO. GALAJUM107847 CHASIS NO. MALA851CLJM942427	₹. 6,41,260/- दिनांक 29.08.2022 तक + ब्याज व अन्य खर्च	29.08.2022 04.11.2022

दिनांक: 12.11.2022 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

तीन दुकानों के ताले तोड़ कर किया हजारों का सामान चोरी

मोदीनगर, 11 नवंबर (जनसत्ता)।

चोरों ने गुरुवार रात तीन दुकानों के शटर के ताले तोड़ कर हजारों का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित व्यापारियों ने मामले में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बद्रमाशों की तलाश शुरू कर दी है। निवाड़ी रोड पर राजचौपले के निकट आकाश तोमर का मेडिकल स्टोर है। रोजाना की तरह वे रात के समय मेडिकल स्टोर बंद करके घर चले गए थे। इस बीच कुछ

चोर ताला तोड़ कर दुकान में गए और वहां से नकदी, दवाइयां समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। निवाड़ी रोड पर ही भित्तल कन्फेशरी का भी बद्रमाशों ने शटर तोड़ दिया। वहां से कुछ सामान चोरी हुआ। गोविंदपुरी में हरमुखपुरी गेट के निकट मैकेनिक शिवम की दुकान से भी सामान चोरी किया गया। बद्रमाश पीछे के रास्ते दुकान में गए थे। उधर, सौदा रोड पर भी ज्वेलरी की दुकान का बद्रमाशों ने शटर तोड़ दिया।

जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या

बरेली, 11 नवंबर (जनसत्ता)।

थाना फरीदपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान की जमीन-जायदाद के विवाद में ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक टांडा सिक्करपुर में बुजुर्ग किसान टाकन लाल ने गुरुवार को अपने खेत में गेहूँ की बोआई की थी। उनकी कृषि भूमि पर उसी गांव के नत्थू लाल और उनका बेटा अपना हक जताते रहे हैं। इस जमीन को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। खेत में धान की फसल काटने के बाद किसान टाकन लाल ने गेहूँ की बोआई की

तो इस पर दूसरे पक्ष के नत्थू लाल और उनके बेटे मनमोहन ने एतराज किया। गुरुवार की शाम दोनों बाप-बेटे ट्रैक्टर से दोबारा जुताई कर अपनी फसल बोने की तैयारी में जुट गए। इसकी भनक लगाने पर टाकन लाल अपने तीन बेटों को लेकर खेत पर पहुंचा तो मनमोहन ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इसी बीच शोर मचाते हुए टाकन लाल के बेटे भी ट्रैक्टर की ओर बढ़े तो मनमोहन चलता हुआ ट्रैक्टर छोड़ भाग गया।

टाकन लाल ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंस कर कई मीटर तक घिसटता चला गया, जिससे लहलुहान होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी नत्थू लाल को गिरफ्तार कर उसके बेटे की तलाश कर रही है।

अभद्र टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार

हापुड़, 11 नवंबर (जनसत्ता)।

जाट समाज को अपशब्द कहने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने हंगामे के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक सिसोदिया ने बताया कि अभद्र टिप्पणी कर आरोपी ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसको लेकर जाट समाज, किसान यूनियन व सपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। आक्रोश के चलते सभी दल बाबूद थाने पर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख थाना प्रभारी देवेन्द्र बिष्ट ने अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी।

आनन-फानन में बाबूद निवासी कपिल सिंघल भाजपा मंडल महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण पर भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा ने बताया कि एक वीडियो वायरल का मामला संज्ञान में आया है और इसकी बारीकी से जांच की गई। वायरल वीडियो में कपिल सिंघल के निजी विचार प्रदर्शित होते दिखाई दे रहे हैं। जिसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रकरण की जानकारी पार्टी के नेताओं को दे दी गई है।

रालोद जिला अध्यक्ष गौरव प्रताप, सपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र जाखड़, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आदि सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बाबूद थाने पहुंचे। किसान नेताओं ने बताया कि जाट समाज को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

महिला अधिवक्ता से मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग

सहारनपुर, 11 नवंबर (जनसत्ता)।

बेहट कोतवाली के गांव दारुदपुरा में महिला अधिवक्ता हिमानी राणा और उसके पति अमित राणा के साथ उन्हीं समुदाय के दूसरे पक्ष के साथ छह नवंबर को मारपीट हो गई थी। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली थी। इसके बाद 11 नवंबर को अधिवक्ता हिमानी राणा पक्ष की ओर से विपक्षियों के खिलाफ उन पर हमला करने की दूसरी शिकायत बेहट कोतवाली पुलिस को दी गई।

उनकी दूसरी एफआइआर दर्ज न किए जाने को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर और महासचिव नितिन शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार दोपहर दीवानी कचहरी के सामने मानव शृंखला बना कर जाम लगाया। सूचना मिलने एएसपी प्रीति यादव मौके पर पहुंची। उनके अनुरोध पर अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी विपिन टांडा से भेंट की और ज्ञापन देकर मांग की कि इंस्पेक्टर बेहट बृजेश कुमार पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिवक्ता हिमानी राणा द्वारा दी गई दूसरी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए।

PTC INDUSTRIES

ASPIRE • INNOVATE • ACHIEVE

CIN: L27109UP1963PLC002931

Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Sahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh - 227101, India

Ph: +91 522 7111017, Fax: +91 522 7111020, Web: www.ptcil.com, email: ptc@ptcil.com

CORRIGENDUM TO NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Members,
PTC Industries Limited had issued Notice dated October 20, 2022 ("Notice of EGM") for convening Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Company which is scheduled to be held on Saturday, November 19, 2022 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility. The Notice of the EGM has been dispatched to the shareholders of the Company on October 27, 2022 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder.
This corrigendum is being issued to give notice to amend/ provide additional details as mentioned herein and pursuant to the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018: Changes to the Explanatory Statement to Item No. 1 & 2:
1. In Para VII, the details of the below-mentioned allottees will be replaced and read as follows:

Name	Pre issue Shareholding Structure*		Equity Shares to be allotted	Post issue Shareholding		Warrants to be allotted	Post issue Shareholding (Presuming full conversion of Warrants)	
	No. of Shares	%		No. of Shares	%		No. of Shares	%
Aniruddha Shyam Lakhani	500	0.00	4,300	4,800	0.04	-	4,800	0.03
Jasbir Singh Chouhan	2,767	0.02	-	2,767	0.02	21,300	24,067	0.17
Kaifash Dinodia	5,275	0.04	8,600	13,875	0.10	-	13,875	0.10
Mala Sareen	768	0.01	-	768	0.01	12,800	13,568	0.10
Prakash Sarda	307	0.00	8,600	8,907	0.07	-	8,907	0.06
Rekha Daga	-	0.00	11,100	11,100	0.08	-	11,100	0.08
Shashi Bhushan Prasad	100	0.00	6,400	6,500	0.05	-	6,500	0.05
Shivam Shyam Dhawan	188	0.00	4,300	4,488	0.03	-	4,488	0.03
Taori Amol Babulajji HUF	-	0.00	8,600	8,600	0.06	4,300	12,900	0.09
Tuljaram Maheshwari	2,431	0.02	8,600	11,031	0.08	-	11,031	0.08

(* Pre-issue shareholdings as on the date of EGM Notice.
(2) In Para IX, the details of the below-mentioned allottees appearing at serial no. 3, 21, 25, 30, 38, 39, 49 and 52 will be replaced and read as follows:

Sl. No.	Name and Proposed Allottee	Current Status	Post Status
3.	Aniruddha Shyam Lakhani	Non-Promoter	Non-Promoter
21.	Mala Sareen	Non-Promoter	Non-Promoter
25.	Prakash Sarda	Non-Promoter	Non-Promoter
30.	Rekha Daga	NA	Non-Promoter
38.	Shashi Bhushan Prasad	Non-Promoter	Non-Promoter
39.	Shivam Shyam Dhawan	Non-Promoter	Non-Promoter
49.	Taori Amol Babulajji HUF	NA	Non-Promoter
52.	Tuljaram Maheshwari	Non-Promoter	Non-Promoter

All other particulars and details remain unchanged. This Corrigendum to the Notice of the EGM shall form an integral part of the Notice of EGM which has already been circulated to shareholders of Company and on and from the date hereof, the Notice of the EGM shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This Corrigendum is also being published in the Financial Express (English language) and Jansatta (Hindi language) and will also be made available on website of the stock exchange i.e., BSE at www.bseindia.com, and on the website of the Company at www.ptcil.com. This Corrigendum shall also be sent electronically to all the registered shareholders as on the cut-off date, i.e., Saturday, October 14, 2022.

For PTC Industries Limited
SD/-
Pragati Gupta Agarwal
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Lucknow
Date : 11.11.2022